Statement-II

The steps taken/being taken include—

1. Formal training in a driving school is made a pre-requisite for issuance of licence to drive transport vehicles.
2. Maximum safe laden weights have been prescribed for trucks including light commercial vehicles.
3. Maximum speed limits have been prescribed for all vehicles except light motor vehicles.
4. Uniform intervals for checking the fitness of vehicles have been prescribed throughout the country.
5. It is prescribed that road safety dsvices would be fitted in the vehicles viz. direction indicators with blinker system for vehicles, special lables on carriages carrying dangerous or hazardous goods.
6. A National Road Safety Council has been set up for formulation of road safety measures. State Governments were also requested to set up State level road safety councils.

The State Govts. have also been advised to take action on following lines—

1. Strict and rigid enforcement of traffic rules and regulations.
2. Regular special drive against rash and negligent driving, driving without driving licences, drunken driving, defective headlights, over-speeding, over-loading etc.
3. Regular prosecution of violation through issue of notices.
4. Introduction of blinkers/signals at accident prone areas.
5. More Police presence in accident prone areas.
6. Special morning drives and night mobile patrolling.
7. Painting of bus boxes, yellow boxes.
8. Special night checking on Highways.
9. Special drive against buses, HTVs, TSRs, Taxis etc.

राष्ट्रीय राजमार्ग के रख-रखाव के लिए राज्यों को धनराशि आवंटित किए जाने के संबंध में मानदंड

5801. **श्री कैलाश नारायण सारंग** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग के रख-रखाव के लिए भिन्न-भिन्न राज्यों को धनराशि आवंटित किए जाने के संबंध में निर्धारित मानदंड क्या हैं ;

(ख) इस योजना के अधीन गत तीन वर्षों के दौरान राज्यों को कितनी-कितनी धनराशि आवंटित की गई है ; और

(ग) क्या भारत सरकार द्वारा इस योजना के अधीन राज्य सरकारों को उनके लिए निर्धारित धनराशि से कम धनराशि आवंटित किए जाने के संबंध में संबद्ध राज्य सरकारों की ओर से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं, यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं तथा इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) राष्ट्रीय राजमार्गों के रख-रखाव और मरम्मत के लिए निधियों की आवश्यकता का निर्धारण, प्रतिवर्ष वर्तमान लागू दरों पर मानदंडों के अनुसार किया जाता है। तथापि, वास्तविक आबंटन, वास्तव में उपलब्ध कराई गयी सकल रख रखाव निधियों के अन्तर्गत यथानुपात के आधार पर किया जाता है।

(ख) पिछले चार वर्षों के दौरान

किया गया राज्य वार आबंटन संलग्न विवरण में दर्शाया गया है (**नीचे देखिए**)

(ग) चूंकि निधियों की सकल उपलब्धता, मानदंडों के अनुसार आवश्यक राशियों से कम है, इसलिए अधिकांश राज्य सरकारें समय-समय पर अतिरिक्त निधियों के लिए अभ्यावेदन करती रही हैं। आबंटन में वर्ष दर वर्ष वृद्धि करने के लिए निरन्तर प्रयास किए जा रहे हैं।

विवरण

श्री कैलाश नारायण सारंग द्वारा पूछे गए राज्य सभा अतारांकित प्रश्न सं० 5801 दिनांक 4-5-1994 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित विवरण जो वर्ष 1990-91 से 1993-94 के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के रख-रखाव और मरम्मत के लिए राज्य वार आबंटन दर्शाता है।

(लाख रुपए)

क्रम सं.	राज्य का नाम	1990-91	1991-92	1992-93	1993-94
1.	आन्ध्र प्रदेश	1328.28	1279.42	1249.44	1716.42
2.	अरुणाचल प्रदेश	50.88	34.36	35.41	53.51
3.	असम	959.38	1018.09	1039.625	1355.22
4.	बिहार	1148.83	1012.30	1072.66	1276.45
5.	चंडीगढ़	11.55	16.00	15.48	14.00
6.	दिल्ली	125.16	163.00	171.80	208.21
7.	गोवा	215.87	191.97	208.308	225.05
8.	गुजरात	1043.02	918.89	881.37	1033.95
9.	हरियाणा	252.67	362.29	380.83	513.86
10.	हिमाचल प्रदेश	595.88	518.77	529.55	881.70
11.	जम्मू तथा काश्मीर	141.65	45.00	143.39	74.54
12.	कर्नाटक	742.83	990.02	1105.85	1234.19
13.	केरल	434 50	586.54	587.82	726.15
14.	मध्य प्रदेश	1045.09	1195.69	1213.25	1316.28
15.	महाराष्ट्र	1489.15	1620.90	1506.677	1815.54
16.	मणिपुर	54.82	51.67	73.32	130.47
17.	मेघालय	181.19	205.19	170.27	231.13
18.	नागालैंड	2.00	3.50	3.50	7.29
19.	उड़ीसा	654.73	859.98	738.52	1016.11
20.	पांडीचेरी	6.52	6.83	5.78	16.02
21.	पंजाब	474.54	579.98	638.97	661.30
22.	राजस्थान	962.68	1054.61	1141.02	1339.97
23.	तमिलनाडु	940.80	979.91	1134.69	1643.67
24.	उत्तर प्रदेश	1108.51	1312.05	1394.96	1710.52
25.	पश्चिम बंगाल	1060.47	1284.35	1071.51	1760.45